न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–208/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00135)

1. इकबाल सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह जाति ब्राहाम्ण सिख, निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील रामगढ, जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. फतेह सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह जाति ब्राहाम्ण सिख, निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील रामगढ, जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार रामगढ।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 31.01.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के आदेश दिनांक 02.06.2017 (प्रकरण संख्या 104/16) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 228, 236, 237, 803, 804, 805, 225, 226 जिसके साबिक खसरा नम्बर 169 मिन 1 बीघा, 597 मिन 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 596 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा 168 मिन 9 बिस्वा का 1/7 भाग ग्राम बिलासपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो कि विवादित आराजी है, उक्त आराजी के सम्बन्ध में श्रीमती विधाकौर बेवा कृपाल सिंह जाति ब्राहाम्ण सिख द्वारा एक फर्जी एवं बनावटी वसीयत रेस्पोडेन्ट फतेह सिंह पुत्र कृपाल सिंह के पक्ष में की गई बताते हुए एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट फतेह सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वसीयत का नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत हुआ जिस प्रार्थना पत्र पर बिना विस्तृत जॉच किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वसीयतकर्ता विधाकौर बेवा कृपाल सिंह को तथाकथित वसीयत जो फर्जी एवं बनावटी है, को तहरीर करने का कोई वैधानिक अधिकार नही था क्योंकि उपरोक्त आराजी वसयीतकर्ता की स्व–अर्जित सम्पत्ति नही थी बल्कि हिन्दु अविभाजित परिवार द्वारा कारोबार से प्राप्त धन से उक्त आराजी क्रय की की गई थी जो गवाह जीतसिंह पुत्र सोहन सिंह के बयानों से स्पष्ट है। उन्होने आगे कथन किया है कि गवाह जीतसिंह पुत्र सोहन सिंह ने अपने बयानों में स्पष्ट किया है कि मेरे व विधाकौर के परिवार में साझेदारी में गाड़ीयों को कारोबार था जिसकी आय से हमने 11 बीघा जमीन खरीदी थी, परिवारिक बंटवारा हुआ, तब 1/2–1/2 आराजी का विभाजन हुआ था इसलिये उक्त आराजी विधाकौर के नाम दर्ज

संभागीय आयुक्त
जयपुर

करवा दी थी जिसमें विधाकौर के सभी वारिसों को समान भाग में हक है, इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वसीयतकर्ता की स्वयं की महनत से कमाई गई सम्पत्ति नही है अर्थात वादग्रस्त आराजी वसीयतकर्ता की स्वयं अर्जित सम्पत्ति नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वसीयतकर्ता विधाकौर के रेस्पोडेन्ट के अलावा अपीलान्ट एवं अन्य वारिस भी मौजूद है इसलिये विधाकौर की सम्पत्ति को सभी वारिसों को संभाग में प्राप्त करने के अधिकार है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक विधाकौर के सभी वारिसों की बिना जॉच किये फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से वारिसों की जॉच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हुए थे। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एकतरफा जो गवाह पेश किये थे उनसे जिरह करने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हुआ था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाह से जिरह करने हेतु पत्रावली विचाराधीन थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गवाहों से जिरह किये ही निर्णय पारित किया है जो निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण काबिले निरस्त है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार मृतक की सम्पत्ति को उसके सभी प्राकृतिक वारिस प्राप्त करने के अधिकारी होते है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है कि जो काबिले खारिज है। उन्होने कथन किया है कि विधाकौर के तीन पुत्र व तीन पुत्रीयॉ है जो उसके जायज वारिस है जो मृतक की सम्पत्ति को बराबर भाग में प्राप्त करने के अधिकारी है। उन्होने कथन किया है कि मु0 विधाकौर ने अपने जीवनकाल में ही सम्पत्ति का बंटवारा कर मालिकाना हक एवं कब्जा अपने वारिसों को दे दिया था वर्तमान में अपीलान्ट उक्त आराजी पर अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के हिस्से की आराजी पर कब्जा नही है इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही करते हुये निर्णय पारित किया है जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 02.06.2017 निरस्त फरमाया जाकर मृतक विधाकौर की समस्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण उसके सभी जायज वारिसों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी को स्व. विधाकौर द्वारा अपनी स्वयं की आय से दिनांक 06.02.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा है जो विधाकौर की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिससे विधाकौर को उक्त आराजी की वसीयत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में करने का पूर्ण अधिकार कानूनन प्रदत्त है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथा स्व. विधाकौर अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ ही निवास करती रही है एवं स्व. विधाकौर उन्होने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी की वसीयत अपने छोटे पुत्र फतेहसिंह के पक्ष में दिनांक 09.06.2003 को ही कर दी थी एवं स्व. विधाकौर का दिनांक 13.07.2007 को देहान्त हो चुका है ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट अपने नाम कराने का अधिकारी है तथा तहसीलदार रामगढ द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार जीतसिंह पुत्र श्री सोहन सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1992 से विधाकौर द्वारा क्रय की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी की किसी भी व्यक्ति के हक में वसीयत करने के पूर्ण अधिकार स्व. विधाकौर थे। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की क्रेता स्व. विधाकौर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि उक्त वसीयत किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर